

**उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन**



**प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त**

सत्र : 2020-21

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया



महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश करना है।



म. प्र. उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट



<https://epwprash.mponline.gov.in> पर <https://epwprash.mponline.gov.in> पर प्रवेश करने के लिए



घर बैठे या विश्वविद्यालय पर पाठ्यक्रम की सूची एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वापस प्रदर्शित है।
में अंकाओं से अपनी योग्यतानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का चयन का सकता है।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने हेतु क्या करना है।

- सर्वप्रथम पंजीयन, पाठ्यक्रम अनुसार महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन। यदि एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ई-सत्यापन नहीं हुआ है तो दस्तावेजों का किसी भी शसक्त महाविद्यालय में जा कर सत्यापन कराना होगा। प्राप्तिक एवं श्रेणी के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आबंटन होगा। महाविद्यालय आबंटन होने के पश्चात् ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने पर प्रवेश सुनिश्चित होगा। शैक्षणिक संव. आरम्भ होने के पश्चात् विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि के पूर्व मूल एवं अन्य दस्तावेज प्रवेशित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

<https://epwprash.mponline.gov.in>



प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
सत्र 2020-21

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठक्र०
1.	प्रयुक्ति (i) 1.1 कोर्सेज (कोविड-19) के संदर्भ में निर्देश	4 4
2.	प्रवेश प्रक्रिया (i) 2.1 फजीयल शुल्क का भुगतान। (ii) 2.1.1 ऑनलाईन फजीयल आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन। (iii) 2.3 ऑनलाईन गुणानुक्रम अनुसार आवेदन चुनने का महाविद्यालयवार प्रकाशन एवं शुल्क भुगतान। (iv) 2.4 महाविद्यालय में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश प्रक्रिया। (vii) 2.6 सी.एल.सी. धरण की ऑनलाईन प्रक्रिया। (viii) 2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता। (ix) 2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश।	5-11 6 6 7 8 8 9-11 11
3.	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश	11
4.	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण (i) 4.2.1 मेथिंग महाविद्यालय द्वारा पात्र निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया। (ii) 4.5 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश। (iii) 4.6 मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रवेश।	12-13 12 13 13
5.	प्रवेश की पात्रता (i) 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा। (ii) 5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश।	13-14 13 14
6.	समकक्ष परीक्षा	14-15
7.	बाह्य आवेदकों का प्रवेश	15-16
8.	प्रावधिक प्रवेश की पात्रता	16-17
9.	प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता	17-18
10.	प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण	18
11.	प्रवेश हेतु प्राथमिकता	18
12.	आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप (i) 12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश।	19-21 20
13.	अधिभार (i) 13.1 एन.सी.सी./एन.एस्.एस्./स्काउट्स (स्काउट/माईडल्/रेन्जर्स)। (ii) 13.4 खेलकूद/सांस्कृतिक/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विज्ञ/रूपवान प्रतियोगिता। (ii) 13.8 विशेष प्रोत्साहन	21-23 21 22 22
14.	संकाय/विषय/समूह परिवर्तन	23
15.	विशेष	23-25
16.	परिशिष्ट 1 एवं 2	26-29

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र 2020-21

1. प्रयुक्ति :-

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक- 6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/ विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 कोरोना (कोविड-19) के संन्दर्भ में निर्देश :-

- (अ) कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हताकारी परीक्षा एम.पी.बोर्ड एवं सी.बी.एस.सी. बोर्ड से उत्तीर्ण आवेदकों का डेटा एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित आवेदकों को सत्यापन या प्रवेश के लिए महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् सत्यापन की आवश्यकता होने पर, आवेदक अगले कार्यदिवस में ही उपस्थित होकर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराए।
- (ब) सत्र 2020-21 की प्रवेश-प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में आवेदक पंजीयन हेतु किसी भी शासकीय महाविद्यालय में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा। इसके साथ ही जिन आवेदकों का स्वतः एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, ऐसे आवेदक किसी भी हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) के द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही भी पूर्ण कर सकेंगे।
- (स) कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के हेल्प सेंटर में आवश्यक व्यवस्थाएं संयोजित की जाए। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदकों की संभावित संख्या के आधार पर शारीरिक दूरी बनाये रखने हेतु अधिक से अधिक संख्या में हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परामर्श है कि पर्याप्त संख्या में काउन्टर की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि एक दिवस में एक काउन्टर पर 50 विद्यार्थी का सत्यापन हो सके, ताकि शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) का पालन सुनिश्चित किया जा सके, तथापि इस संबंध में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्राचार्य स्वविवेक से निर्णय ले सकेंगे। प्रत्येक हेल्प डेस्क पर एक सत्यापन अधिकारी पोर्टल के माध्यम से सत्यापन की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाए।

- 1.2 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरान्त अक्टूबर प्रथम सप्ताह में स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. प्रवेश प्रक्रिया :-

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2020-21 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयवधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ई-प्रवेश प्रक्रिया एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रवेश संबंधी सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल (<https://epravesh.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी।

- (अ) कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्याईस फिलिंग करने का अधिकार होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. अंतिम चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित ना होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (ब) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे।
- (स) निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। प्रथम चरण के पश्चात आगामी चरणों में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जायेगा। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी एवं प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी पृथक से दी जायेगी। आवेदक न्यूनतम 01 या अधिकतम 15 महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रमों के युग्म का चयन पंजीयन के समय करते हुए च्याईस फिलिंग कर सकेगा।
- (द) पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-
 1. प्रथम चरण में पंजीयन शुल्क रू. 100/- (समस्त छात्राओं के लिये निःशुल्क)
 2. सी.एल.सी. चरण में पंजीयन शुल्क रू. 500/- (समस्त विद्यार्थियों के लिए विलम्ब शुल्क सहित)
 3. पोर्टल शुल्क रू. 50/- (प्रत्येक चरण में केवल छात्रों द्वारा देय होगा)
- (घ) पंजीयन के पश्चात आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ले एवं सुनिश्चित करे कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतया सही हैं। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंद्रों (Help Centers) की भी व्यवस्था की गई है।

2.1 पंजीयन शुल्क का भुगतान :

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। विद्यार्थी पंजीयन पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/रसीद पर अंकित सभी निर्देशों को पढ़ें एवं पालन कर दिये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन संबंधी आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2.1.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

2.1.2 स्नातक स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रतियों सहित पंजीयन फार्म का प्रिंट आउट सलग्न कर एक प्रति में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, संवर्ग प्रमाण-पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी-लेयर में न होने का प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र, एन.एस.एस./एन.सी.सी./क्रीडा/साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण-पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिकार देय हो, का सत्यापन करना होगा। पंजीयन पश्चात् ऐसे आवेदक जिनके पंजीयन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, केवल उन्हें ही अथवा उनके अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों का अनिवार्यतः सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर करना होगा। ऑनलाईन सत्यापन होने का उल्लेख पंजीयन के प्रिंट आउट पर किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र तत्समय सक्षम अधिकारी का न होने पर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

2.1.3 स्नातकोत्तर स्तर : ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक द्वारा कडिका 2.1.2 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु सत्यापन कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पंजीयन के पश्चात् ऑनलाईन या ऑफलाईन सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया है।

2.1.4 आवेदक द्वारा पंजीयन फार्म के सत्यापन के दौरान उनके पंजीयन फार्म में कोई त्रुटि/विसंगति है, तो आवेदक किसी भी नजदीकी शासकीय महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यम से त्रुटि सुधार करवा सकेंगे।

2.1.5 अपवाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाईन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाईन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित की जायेगी। शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुधार किया जायेगा। इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों का संचारण की पूर्ण जिम्मेदारी सहायता केन्द्रों की होगी।

2.2 अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के संबंध में :

आवृत्त महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जाएगी। वचन पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते हैं तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम अनुसार आवंटन सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन एवं शुल्क का भुगतान:

2.3.1 सत्र 2020-21 की प्रवेश-प्रक्रिया में कोविड-19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकृत एवं च्वाईस फीलिंग करने वाले सभी आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी जावेगी साथ ही आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी चेक करें। तत्पश्चात् आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि तक भुगतान कर सकेंगे, इस हेतु महाविद्यालय में उपस्थित होकर लिंक इनीसिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा।

2.3.2 कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आवंटन पत्र जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ऑनलाइन प्रवेश के समय तथा शेष शुल्क दो किश्तों में संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में अध्ययन के लिए महाविद्यालय में उपस्थित होने पर डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया 4.5 एवं 5.6 के अनुसार होगी।

2.3.3 आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजिक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजिक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय के प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के खाते क्र. को सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता।

2.3.4 आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का बाद में भी पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है।

2.3.5 कोरोना कोविड -19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् घोषित समय सीमा में आवेदक को प्रवेश प्राप्त करने वाले शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/डब्लिकेट टीसी, माईग्रेशन

एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

2.3.6 स्नातक कला संकाय के समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा कि शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् घोषित समय सीमा में आवेदक निर्धारित प्रारूप में विषय समूह का चयन करते हुए संबंधित महाविद्यालय में ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी अद्यतन कराएंगे। यह अनिवार्य होगा कि संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करेंगे।

2.3.7 आवेदक द्वारा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् स्वतः ही उसका नाम संबंधित महाविद्यालय के चयनित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशित सूची में प्रदर्शित होने लगेगा। प्रथम चरण के पश्चात् सी.एल.सी. प्रथम/द्वितीय चरणों में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर सी.एल.सी. चरण में आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय-सारणी की निर्धारित तिथियों के अनुसार संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह सी.एल.सी. चरण में शुल्क अदा कर पंजीयन करा सकेंगे।

2.4 महाविद्यालय में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु प्रक्रिया :

प्रथम चरण के पश्चात् सी.एल.सी. चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाइन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। परन्तु प्रथम चरण में यदि किसी आवेदक को उसकी दशायी हुई प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तो सी.एल.सी. चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भरे दे। पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

2.5 सी.एल.सी. चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया :

2.5.1 प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर सी.एल.सी. ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व वरीयताओं में समय-सारणी की निर्धारित तिथियों अनुसार संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है वह भी सी.एल.सी. चरण में पंजीयन करा सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

2.5.2 सी.एल.सी. में महाविद्यालय आनलाइन वरीयता सूची गुणानुक्रम अनुसार प्रदान की जायेगी। महाविद्यालय पाठ्यक्रमवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर उक्त प्रदत्त सूची के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं इस चरण में समय-सारणी अनुसार प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कडिका 12.1 से 12.8 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कडिका 12.11 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

2.5.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश

दिया जा सकेगा। प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कंडिका 2.7 (क) एवं 8.1.1 के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी।

2.5.4 कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा शासकीय सेवक के स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज करनी होगी।

सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे पंजीकृत आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उनके परीक्षा परिणाम संशोधित करने के कारण प्रवेश हेतु उनकी पात्रता मेरिट सूची अनुसार पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विशेष प्रकरण मानते हुये परीक्षा परिणाम आने के 15 दिवस की समय सीमा में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. के प्रस्ताव पर, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद प्रवेश दिया जायेगा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉड्यूल में दर्ज किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में स्वीकृत सीटों की संख्या बाध्यता नहीं होगा। साथ ही ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन में पात्रता के कारण तकनीकी कठिनाई है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संयुक्त निर्णय लेकर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

2.5.5 सत्र 2020-21 से शासकीय महाविद्यालयों के स्वयंतीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है।

(क) सत्र 2019-20 स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जायेगा। अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) सत्र 2019-20 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जायेगा। अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ग) सत्र 2020-21 सत्री नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :

सत्री आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2020-21

1. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह-विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
2. वाणिज्य/कला/गृह संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
3. वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
4. कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
5. गृह-विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण आवेदकों के साथ-साथ विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।
6. गृह-विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को गृह विज्ञान संकाय के अतिरिक्त से कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। सभी आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(ख) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 394/73/सीसी/2017, दिनांक 03.05.2018 द्वारा 10+2 कृषि संकाय विद्यार्थी बी.ए. एवं बी.एससी. जीव विज्ञान समूह (के सभी एलाइड विषयों-जैसे माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक, सीड टेक्नालॉजी इत्यादि) के साथ प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 667/175/सीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(घ) यू.जी./पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

(ङ) म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल से पूर्व में हायर सेकेंड्री (ग्यारवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

2.6.2 अन्य सेमेस्टर्स/वार्षिक पद्धति में प्रवेश :

(क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टर्स/वर्षों में पिछले सेमेस्टर्स में उत्तीर्ण अथवा किसी भी एक सेमेस्टर/वर्ष में दो तथा एक-समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms)/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जायेंगे।

(ख) कठिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में

स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय सलमन करना अनिवार्य है।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी स्तर में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अन्दर संबंधित महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश : सभी आवेदक एवं संबंधित महाविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय की पात्रतानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

(क) कक्षा

अर्हकारी परीक्षा

1. एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर

बी.कॉम.

2. एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर

बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ

3. एम.एस.सी. (गृहविज्ञान), प्रथम सेमेस्टर

बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)

4. एम.ए./एम.एस.डब्ल्यू

स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

(ख) स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए. या एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्राक्धानों के अनुसार होगी।

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। प्रथम सेमेस्टर से आगामी सेमेस्टर्स में प्रवेश हेतु विगत परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टर्स में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

3. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :

(क) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772/216/सी.सी./2018, भोपाल, दिनांक 07.08. 2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।

(ख) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

4. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :

4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक- व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी-संख्या का निर्णय आयुक्त/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे। साथ ही आयुक्त उच्चशिक्षा के पत्र क्र. 680/484/आउशि/शा-5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2018 एवं क्र. 708/484/आउशि/शा-5'अ'/2018, दिनांक 18 अगस्त 2018 के अधीन शासकीय महाविद्यालय नियमानुसार, 10 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 प्रतिशत शर्तों के अधीन, सीट वृद्धि कर सकेंगे तथा समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा। इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। अशासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या पर भी प्रवेश नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, विषय समूह, निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से ऑनलाइन विभागीय (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित भी करना/करवाना होगा। महाविद्यालय अपने बैंक खाता क्रमांक प्रवर्तिता सावधानी पूर्वक करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज की गई है। यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित महाविद्यालय की होगी। साथ ही इसी बैंक खाते का एक क्रॉस बैंक चेक भी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को उनकी प्रवेश शुल्क राशि की वापसी की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारंभ होने के पूर्व संचालित/नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/सीट संख्या आदि की जानकारी निर्धारित तिथियों में ही अद्यतन करना अनिवार्य है। प्रवेश पोर्टल प्रारंभ होने के उपरान्त, सी.एल.सी. चरण के पूर्व ही महाविद्यालय द्वारा सीट संख्या/डाटा अद्यतन करना संभव होगा।

4.2.1 मैपिंग महाविद्यालय, पात्र निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर जोड़ने हेतु सत्यापन से पूर्व संबंधित महाविद्यालयों से निम्न जानकारी उपलब्ध होने पर ही सत्यापन कार्य करेंगे।

- (अ) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र।
- (ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (स) यदि सत्र 2020-21 में सीटों का निर्धारण नहीं किया गया तो उस स्थिति में सत्र 2019-20 में निर्धारित ऑनलाइन प्रवेशित संख्या, जिसको संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है को ही सत्र 2020-21 के लिये संकाय/विषयवार सीट संख्या माना जायेगा।
- (द) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कंडिका 4.2.1 के साथ-साथ बी.सी.आई. की अनुमति एवं बी.सी. आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या।
- (य) महाविद्यालय का बैंक संबंधी विवरण, अपलोड किये क्रॉस बैंक चेक के आधार पर मैपिंग महाविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जावेगा। बैंक विवरण सही हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। इसी बैंक खाते में प्रवेश शुल्क भेजा जायेगा।

मेपिंग महाविद्यालय द्वारा, उक्त दस्तावेजों की उपलब्धता न होने पर किसी भी स्थिति में अशासकीय महाविद्यालय को वर्तमान सत्र की प्रवेश प्रक्रिया के लिए सत्यापित न किया जाए।

4.2.2 पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय-सीमा में पोर्टल द्वारा दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुनःसत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

4.3 विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत प्राथमरी/मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगी।

इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों/ विषयों में महाविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। आवेदकों को प्रवेश चरण अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

4.5 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश :

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है, इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों का नियमानुसार शिक्षण शुल्क राज्य शासन वहन करता है। योजनान्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले पात्र आवेदकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। मेस शुल्क एवं कौशल मनी शुल्क देय होगा। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

4.6 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्र. एफ-14-2/2008/42-2, दिनांक 21 अगस्त, 2018 के तहत प्रवेश दिया जायेगा इस हेतु समय-समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

(क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मु कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूतान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं

अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :

(क) विधि संकाय (एल.एल.बी./पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम) में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा। बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या ही मान्य होगी।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।

(ख) एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी। न्यायालयीन निर्णयानुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी पात्र होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

6.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 6.3 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 6.4 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।
- 6.5 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण-पत्र सलन करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।
- 6.6 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।
7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :
 - 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.एस.सी.(गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - 7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
 - 7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
 - 7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
 - 7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

- 7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.9 ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।
- 7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश उपरांत मूल अंकसूची विद्यार्थी को वापस करना अनिवार्य है।
8. **प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :**
 - 8.1. स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - 8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
 - महाविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.कं.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।
 - 8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर/तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा।
 - 8.2 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.2.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/38-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं वह सत्र 2020-21 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2019-20 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :

8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी./पूरक नियम

1. सेमेस्टर/वर्ष के अंत में संबंधित सेमेस्टर/वर्ष की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
2. दो विषयों के प्रश्न-पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी। तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
3. विद्यार्थी एक समय में दो विषयों में पूरक के साथ अगले वर्ष में प्रवेश पा सकेगा।
4. स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित पूरक परीक्षाओं में (संबंधित वर्ष की परीक्षाओं के साथ) पूरक प्राप्त/नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

1. सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हों) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

9. प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :

- 9.1 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रामाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं हैं।
- 9.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एक-1-16/2007 (सी.पी.पी. 1) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र.

829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

9.3 आयु संबंधी पात्रता : वर्ष 2017-18 के विन्दु क्रमांक 9.3 क.ख.ग.घ.ङ.च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समय प्रतिशत के अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथी तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर मेपिंग महाविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी. चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा। अपरंपरागत पाठ्यक्रमों के आवेदकों को परंपरागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में मार्गदर्शिका में समाहित किया जा रहा है परंतु याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संदर्भ के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मेडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.4.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) : विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगतअधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों

एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश:

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संघालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माइयूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आवेदन करना चाहते हैं हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे—

- (अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
- (स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र
- (द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गर्वनिंग वाडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
- (य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
- (र) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।

12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियां से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निश्चित समय सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुनःसत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की ही होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुनःसत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

- 12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. प्रथम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।
- 12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में एक प्राप्त करने वाले खिलाड़ीयों को अर्हता पूर्ण होने पर बर्गर किस्सी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क्र. 7678/खेयुक/2018दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणों को अद्यतन किया गया है।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स(स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(ङ)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिनेजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(घ)	खूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तराष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर
-10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश लेने पर

-5 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विज्ञान/रूपांकन प्रतियोगिताएं -

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को -2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -4 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (Inter Zonal) एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तर संभाग/अन्तर जिला में :

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी/टीम के प्रत्येक सदस्य को -7 प्रतिशत

(ख) जिले के दल से संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को -5 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन/एस.जी. एफ. आइ. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में :

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को -15 प्रतिशत

(ख) प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को -10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में ध्यनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को
-10 प्रतिशत

13.6 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में-

(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को -10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ी/दल के सदस्यों को 15 प्रतिशत अधिकार दिया जायेगा।

(अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित किये जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से है जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।

13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को -01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, वर्ल्डकप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स एवं साउथ एशियन चैम्पियनशिप तथा एसोसियेशन ऑफ

इंडियन यूनिवर्सिटी 1/4A1U1/4 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अथवा भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिसके वे पात्र हैं।

13.9 बशर्ते कि-

- (1) खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं के प्रमाण का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाय।
 - (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया जाएगा
 - (3) विश्वविद्यालय/भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित विश्वविद्यालय के संचालक, खेल द्वारा किया जाए।
 - (4) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा किया जावे।
 - (5) एस.जी.एफ.आई.द्वारा अयोजित प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणन सन्बन्धित जिले के जिला शिक्षा द्वारा किया जाए।
 - (6) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अंतर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात् दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.10 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।
- 13.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 13.4(3) के अनुरूप होगी।

14. संकाय/विषय/समूह परिवर्तन :

स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर ही देय होगा।

15. विशेष :

- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 15.2.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने

का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्राचार्य द्वारा प्रवेश को निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप भेजनी होगी।

15.3 प्रदेश के बाद सत्र के दौरान कॉडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

15.4 प्रदेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निकासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

15.5(अ) प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नाटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापस की जायेगी।

रिमार्क : यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

15.5(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रुपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।

15.6 नियमित प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह की समयवधि में उसी महाविद्यालय में पात्रता अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/संकाय हेतु प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

15.6.1 अकादमिक कैलेन्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थित द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थित ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है कि किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया है, तो उक्त आवेदन को प्रवेश हेतु मान्य नहीं किया जाएगा।

15.6.2 अकादमिक कैलेन्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति पर 15 दिवस की समय सीमा में अनिवार्यता, अकादमिक शाखा, आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन हार्ड कॉपी में 15 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में ई-मेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उक्त समय-सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

15.6.3 सत्र 2020-21 से प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/ आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 30/- देय होगा।

- 15.6.4 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2019-20 से समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 2 (द) के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।
- 15.7 एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन टी.सी. मॉड्यूल द्वारा टी.सी. जारी कर, जनरेंट होने वाली रसीद आवेदक को प्रदान की जायेगी।
- 15.8 ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 15.9 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने/प्राप्त अभ्यावेदनो पर अंतिम निर्णय सहित सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होंगे।

संलग्न: अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2020-21 एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी (परिशिष्ट 01, 02 एवं 03)



22/03/2020

उप सचिव मध्यप्रदेश
शासन उच्च शिक्षा
विभाग